रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)---128/89

REGISTERED No. D--(DN)--128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 1989 (श्रावण 14, 1911)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1989 (SRAVANA 14, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	591
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	795
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1079
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	655
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	723
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनसें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	703
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी, निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	101
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को निभाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	591
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	795
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1079
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	655
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	723
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	703
PART IV—Advertisements and Notices Issued by Private Individuals and Private Bodies .	101
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION I]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 1989

सं० 65-प्रेज/89—29 जनवरी, 1986 की अधिसूचना सं० 8-प्रेज/86 में प्रकाशित "विशेष सेवा मेडल" के अध्यादेश के खंड पंचम के अनुसरण में राष्ट्रपति "श्रीलंका" क्लास्प महर्ष प्रतिष्ठापित करते हैं जो "विशेष सेवा मेडल" के साथ पहना जाएगा तथा यह क्लास्प 28 जुलाई, 1987 से "पवन संक्रिया" समाप्त होने तक श्रीलंका में "पवन संक्रिया" में भारतीय शांति सेना के कार्मिकों की सेवा के अभिज्ञानार्थ होगा।

2. पुरस्कार के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार होंगी :—

(क) वह व्यक्ति जिसने अहेक क्षेत्र में कुल एक वर्ष की सेवा पूरी की है।

(ख) सेना विमानन कोर, नौसेना वायु स्क्वाड्रनों वायुसेना के विमान कर्मी दल, एयर डिस्पैच यूनिटों के निष्कासन कर्मी दल तथा वायु अनुरक्षण बटालियनों/तटरक्षक हवाई स्क्वाड्रनों में सक्रिय रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिक जिन्होंने अहेक क्षेत्र में कम से कम पांच संक्रियात्मक उड़ानें भरी हों अथवा बीस घंटे संक्रियात्मक उड़ान भरी हो।

(ग) "पवन संक्रिया" में की गई सेवा के लिए शौर्य/गैर सेवा मेडल श्रेणी के पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति के मामले में सेवा की समय-सीमा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(घ) वह व्यक्ति, जो अहेक क्षेत्र में सेवा पर रहते हुए मारा गया हो अथवा सैनिक सेवा के कारण घायल हो जाने अथवा अन्य निशक्तताओं के फलस्वरूप वापस बुला लिया गया हो, ऐसे मामले में, सेवा की समय-सीमा अथवा संक्रियात्मक उड़ानों की संख्या अथवा संक्रियात्मक उड़ान घंटों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(ङ) नौसेना, तटरक्षक, वाणिज्यिक पोतों पर सवार नौसेना/तटरक्षक के सभी कार्मिक तथा भारतीय नौसेना के संक्रियात्मक नियन्त्रण में आने वाले विमान के कर्मी दल के सदस्य, जिन्होंने अहेक क्षेत्र में कुल मिलाकर एक वर्ष सेवा पूरी कर ली हो।

(च) संक्रियाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी सभी कमांडर और स्टाफ अफसर, जो अहेक क्षेत्र में कम से कम दस बार गए हों।

3. अहेक क्षेत्र में संक्रियाओं के दौरान विद्रोहियों द्वारा पकड़े जाने के परिणामस्वरूप कैद में बिताई गई अवधि "विशेष सेवा मेडल" के "श्रीलंका" क्लास्प के लिए ऊपर पैरा 2(क) और 2(ङ) में उल्लिखित अहेक अवधि में गिनी जाएगी।

4. पुरस्कार के लिए अहेक क्षेत्र श्रीलंका की भौगोलिक सीमाएं और निम्नलिखित निर्देशांकों के अन्दर आने वाला समुद्री क्षेत्र :—

(क) निम्नलिखित प्वाइंटों को जोड़ने वाली लाइन के पूर्व में समुद्री क्षेत्र

(1) प्वाइंट "क"	—	कोलम्बो		
(2) प्वाइंट "ख"	—	06° 48' एन	79°	40' ई
(3) प्वाइंट (ग)	—	09°	06' एन	79° 32' ई
(4) प्वाइंट (घ)	—	09°	40' एन	79° 23' ई
(5) प्वाइंट (ङ)	—	09°	58' एन	79° 38' ई

(ख) निम्नलिखित प्वाइंटों को जोड़ने वाली लाइन के पश्चिम में समुद्री क्षेत्र।

(1) प्वाइंट "घ"	10°	16' एन	80°	46' ई
(2) प्वाइंट "छ"	06°	30' एन	82°	30' ई
(3) प्वाइंट (ज)	(ग्रेट बेसिस लाइट हाउस)			

सं० 66-प्रेज/89—26 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 15-प्रेज/60 में प्रकाशित "विदेश सेवा मेडल" के अध्यादेश के खण्ड द्वितीय में छूट देते हुए राष्ट्रपति 28 जुलाई, 1987 से "पवन संक्रिया" समाप्त होने तक श्रीलंका में "पवन संक्रिया" में भारतीय शांति सेना के कार्मिकों की सेवा के अभिज्ञानार्थ "विदेश सेवा मेडल" के साथ "श्रीलंका" क्लास्प भी प्रदान करने की महर्ष अनुमति देते हैं।

2. पुरस्कार के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार होंगी :—

(क) वह व्यक्ति जिसने अहेक क्षेत्र में कुल एक वर्ष की सेवा पूरी की हो।

(ख) सेना विमानन कोर, नौसेना वायु स्क्वाड्रनों, वायुसेना के विमान कर्मीदल, एयर डिस्पैच यूनिटों के निष्कासन कर्मी दल तथा वायु अनुरक्षण बटालियनों/तटरक्षक हवाई स्क्वाड्रनों में सक्रिय रूप से कार्यरत ऐसे कार्मिक जिन्होंने अहेक क्षेत्र में कम से कम पांच संक्रियात्मक उड़ानें भरी हों अथवा बीस घंटे संक्रियात्मक उड़ान भरी हो।

(ग) अहेक क्षेत्र में सेवा के लिए शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति के मामले में सेवा की समय-सीमा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(घ) वह व्यक्ति, जो अहेक क्षेत्र में सेवा पर रहते हुए मारा गया हो, अथवा सैनिक सेवा के कारण घायल हो जाने अथवा अन्य निशक्तताओं के फलस्वरूप वापस बुला लिया गया हो, ऐसे मामले में, सेवा की समय-सीमा अथवा संक्रियात्मक उड़ानों की संख्या अथवा संक्रियात्मक उड़ान घंटों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(ङ) नौसेना, तटरक्षक, वाणिज्यिक पोतों पर सवार नौसेना/तटरक्षक के सभी कार्मिक तथा भारतीय नौसेना के संक्रियात्मक नियन्त्रण में आने वाले विमान के कर्मीदल, के सदस्य, जिन्होंने अहेक क्षेत्र में कुल मिलाकर एक वर्ष सेवा पूरी कर ली हो।

3. अहेक क्षेत्र में संक्रियाओं के दौरान विद्रोहियों द्वारा पकड़े जाने के परिणामस्वरूप कैद में बिताई गई अवधि ("विदेश सेवा मेडल" के "श्रीलंका" क्लास्प के लिए ऊपर पैरा 2(क) और 2(ङ) में उल्लिखित अहेक अवधि में गिनी जाएगी।

4. पुरस्कार के लिए अर्हक क्षेत्र श्रीलंका की भौगोलिक सीमाएं और निम्नलिखित निर्देशांकों के अन्दर आने वाला समुद्री क्षेत्र :

(क) निम्नलिखित प्वाइंटों को जोड़ने वाली लाइन के पूर्व में समुद्री क्षेत्र

(1) प्वाइंट "क"	कोलम्बो					
(2) प्वाइंट "ख"	—	06°	48'एन	—	79°	10'ई
(3) प्वाइंट "ग"	—	09°	06'एन	—	79°	32'ई
(4) प्वाइंट "घ"	—	09°	10'एन	—	79°	23'ई
(5) प्वाइंट "ङ"	—	09°	58'एन	—	79°	38'ई

(ख) निम्नलिखित प्वाइंटों को जोड़ने वाली लाइन के पश्चिम में समुद्री क्षेत्र

(1) प्वाइंट "च"	10°	16'एन	80°	46'ई
(2) प्वाइंट "छ"	06°	30'एन	82°	30'ई
(3) प्वाइंट "ज" (ग्रेट बेसिस लाइट हाउस)				

मु० नीलकण्ठन, निदेशक

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 6 जुलाई 1989

संकल्प

सं० 1/20017/2/89-रा० भा० (क-1)—भारत सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

इस उप समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. गृह मंत्री	अध्यक्ष
2. गृह राज्य मंत्री (राज्य)	सदस्य
3. डा० रुद्र प्रताप सिंह, संसद सदस्य एवं उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति	सदस्य
4. श्री एम० के० वेलायुधन नायर	सदस्य
5. श्री सुधाकर पाण्डेय	सदस्य
6. डा० मलिक मोहम्मद	सदस्य
7. श्री रमाप्रसन्न नायक	सदस्य
8. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार हिन्दी-सलाहकार	सदस्य-सचिव

2. इस उप समिति का कार्य केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर नजर रखना होगा।

3. उप समिति के कार्यकाल की अवधि पुनर्गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति के कार्यकाल तक होगी।

4. उप समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शम्भु दयाल, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून, 1989

सं० 26012-(5)/85-मा० (एम०)—भूतपूर्व कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के संकल्प संख्या 26011/77 मा० (टी०-1) दिनांक 24 जुलाई, 1978, में आंशिक संशोधन करते हुए, समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित संसद सदस्यों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए अथवा उनके संसद सदस्य बने रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक (जो भी इनमें पहले हो), केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करते हैं :—

1. श्री टी० बशीर, संसद सदस्य (लोक सभा), 34 साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली के स्थान पर श्री आई० रामा राय।

2. श्री बी० वी० अब्दुल्ला कोया, संसद सदस्य (राज्य सभा) टी० 4, एम० एस० फ्लैट, बी० के० एस० मार्ग, नई दिल्ली के स्थान पर : श्री टी० के० सी० वडुथाला।

सं० 26012-(6)/88-मा० (एस)— राष्ट्रपति, भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के दिनांक 24 जुलाई, 1978 के संकल्प सं० 26012/1/77-मा० (टी-1) समय-समय पर किए गए आंशिक संशोधनों में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक अथवा आगामी आदेशों तक (इनमें से जो भी पहले हो) निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करते हैं :—

1. श्री ए० एल० मन्नैया, मध्य प्रदेश गंगापुत्र संघम, (आ० प्र० मछुआरा संघ) मकान नं० 1-2-606/2/77 बंदा मैसम्मा बस्ती इंदिरा पार्क के पास हैदराबाद-500380 (आ० प्र०)

2. श्री बी० एस० गडकर, उपाध्यक्ष, मछुआरा राष्ट्रीय संघ, 16/1-दक्षिण तुकोगंज, सरजू सदन, इंदौर (म० प्र०)।

3. श्री रमाकान्त, ग्राम प्रधान, सुजाबाद डाकघर कुष्ठ आश्रम वाराणसी (उ० प्र०)।

4. श्री रोनाल्ड डेविड मखर्जी संसाधक और प्रशिक्षित समुद्री खाद्य सामग्री निर्यातक, राहुल फूड (गोवा), पोस्ट बाक्स 330, एक्सेलसर चेम्बर्स, पणजी, गोआ-403001।

5. श्री जे० टी० पाटिल, प्रधान, मछुआरा सहकारिताओं का राष्ट्रीय संघ लि० एकक सं० 8 (II-तल) पाकेट "सी" जे० ब्लाक मार्केट, साकेत, नई दिल्ली-110017।

जी० आर० बजारिया, उप सचिव

जलभूतल परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय

बम्बई, दिनांक 5 जुलाई 1989

संकल्प

सं० 14 एम० एस० (1)/85—मद्रास पत्तन में विशेष व्यापार यात्री कल्याण समिति, संकल्प सं० 11 एम० एस० (1)/85, दिनांक 15-11-1988 के अनुसार दिनांक 6-5-1989 को समाप्त होने वाली थी। नौवहन महानिदेशक ने तत्कालीन नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पत्र सं० 1-एम० डी० एस० (28)/76 एस० ए०, दिनांक 15-10-1976 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समिति की अवधि दिनांक 6-5-89 से छह महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. भारत के राष्ट्रपति के निजी एवं फौजी सचिव, नई दिल्ली
2. पंत प्रधान सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां) ।
4. केबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. परिवहन मंत्रालय जल भूतल परिवहन विभाग (नौवहन पक्ष) नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां) ।
6. वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।
7. संचार मंत्रालय, नई दिल्ली ।
8. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
9. ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
10. पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
11. विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।
13. खाद्य और सिविल पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली ।
14. कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।
15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।
16. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
17. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
18. उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ।
19. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ।
20. श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ।
21. विधि तथा न्याय मंत्रालय नई दिल्ली ।
22. संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
23. कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
24. पेट्रोलियम और न्यूट्रल मंत्रालय, नई दिल्ली ।
25. योजना मंत्रालय, नई दिल्ली ।
26. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
27. विज्ञान और तकनीकी विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली ।
28. इस्पात और खान मंत्रालय, नई दिल्ली ।
29. वस्त्र उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ।
30. नगर विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
31. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
32. कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।
33. इलेक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली ।
34. परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली ।
35. सागर विकास विभाग, नई दिल्ली ।
36. अन्तरिक्ष विभाग, नई दिल्ली ।
37. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
38. मुख्य सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ।
39. मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर ।
40. मुख्य सचिव, आसाम सरकार, दिसपुर ।
41. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना ।
42. मुख्य सचिव, गोवा, दमण और दिव सरकार, पणजी ।
43. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ ।
44. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, अहमदाबाद ।
45. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
46. मुख्य सचिव, जम्मू और काश्मीर सरकार, श्रीनगर ।
47. मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलूर ।
48. मुख्य सचिव, केरला सरकार, त्रिवेन्द्रम ।
49. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।
50. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई ।
51. मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग ।
52. मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।
53. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।
54. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
55. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, मद्रास ।
56. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
57. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
58. अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास ।
59. भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन, बम्बई ।
60. अध्यक्ष तथा सचिव, राष्ट्रीय बंदरगाह बोर्ड, मुंबई ।
61. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई/कलकत्ता/मद्रास ।
62. अध्यक्ष तथा सदस्य, विशेष व्यापार यात्री कल्याण समिति, मद्रास बम्बई ।
63. सार्वजनिक सूचना ब्यूरो, मुंबई ।
64. सार्वजनिक सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

संकल्प

सं० 14-एस० एच० (2)/83—कलकत्ता पत्तन में विशेष व्यापार यात्री कल्याण समिति संकल्प सं० 11-एस० एच०(2)/83, दिनांक 15-11-88 के अनुसार दिनांक 6-5-1989 को समाप्त होने वाली थी। नौवहन महानिदेशक ने तत्कालीन नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पत्र सं० 1-एम० डी० एस०(28)/76-एम०ए०, दिनांक 15-10 1976 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समिति की अवधि दिनांक 6-5-1989 से छह महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. भारत के राष्ट्रपति के निजी एवं फौजी सचिव, नई दिल्ली।
2. पंत प्रधान सचिवालय, नई दिल्ली।
3. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (5) अतिरिक्त प्रतियां) ।
4. केबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली।
5. परिवहन मंत्रालय, जल-भूतल परिवहन विभाग (नौवहन पक्ष) नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां) ।
6. वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. संचार मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
9. ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. खाद्य और सिविल पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।

16. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
18. उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
19. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. विधि तथा न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
22. संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली।
23. कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
24. पेट्रोलियम और न्यूट्रल गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
25. योजना मंत्रालय, नई दिल्ली।
26. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली।
27. विज्ञान और तकनीकी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली।
28. इस्पात और खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
29. वस्त्र उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
30. नगर विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
31. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
32. कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
33. इलैक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली।
34. परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली।
35. सागर विकास विभाग, नई दिल्ली।
36. अंतरिक्ष विभाग, नई दिल्ली।
37. योजना आयोग, नई दिल्ली।
38. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।
39. मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर।
40. मुख्य सचिव, आसाम सरकार, दिसपुर।
41. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।
42. मुख्य सचिव, गोआ, दमन और दिव सरकार, पणजी।
43. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
44. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, अहमदाबाद।
45. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
46. मुख्य सचिव, जम्मू और काश्मीर सरकार, श्रीनगर।
47. मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलूर।
48. मुख्य सचिव, केरला सरकार, त्रिवेन्द्रम।
49. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।
50. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।
51. मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग।
52. मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।
53. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़।
54. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
55. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, मद्रास।
56. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
57. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता।
58. अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास।
59. भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन, बम्बई।
60. अध्यक्ष, तथा सचिव, राष्ट्रीय बंदरगाह, बोर्ड, मुंबई।
61. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई/कलकत्ता/मद्रास।
62. अध्यक्ष तथा सदस्य, विशेष व्यापार यात्री कल्याण समिति, मद्रास-मुंबई।
63. सार्वजनिक सूचना ब्यूरो, मुंबई।
64. सार्वजनिक सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे० एस० गिल,
वरिष्ठ उप नौवहन महानिदेशक

ऊर्जा मंत्रालय
(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1989

संकल्प

सं० 7/2/87-ई० पी० (खण्ड-4)—राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के आधारभूत उद्देश्यों में से एक, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कम से कम लागत पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने सहित इसमें सभी क्षेत्रों में ऊर्जा प्रबन्धकों की कार्यकुशलता में सतत आधार पर वृद्धि करना निहित है, ताकि उपलब्ध ऊर्जा में से देश को कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इस कार्य में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों से नागपुर में एक ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है:—

1. ऊर्जा प्रबन्ध तकनीकों, विशेष रूप से साफ्टवेयर सम्बन्धी पहलुओं के सम्बन्ध में नवीन प्रणालियों का विकास करना।
2. ऊर्जा व्यवसायियों की क्षमता में वृद्धि करना और ऊर्जा प्रबन्धकों तथा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना।
3. ऊर्जा सूचना प्रणाली और आंकड़े सम्बन्धी आधार में सुधार लाना।
4. देश में स्थित संस्थानों/संगठनों/उद्योगों के बीच और भारतीय तथा यूरोपीय व्यवसायियों के बीच ऊर्जा नीति तथा ऊर्जा प्रबन्ध, आयोजना, तकनीकों, ऊर्जा सम्बन्धी आंकड़ों और पूर्व-सूचना देना आदि के बारे में अनुसंधान के परिणामों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करना।
5. देश में ऊर्जा प्रबन्ध सम्बन्धी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु कार्यक्रमों/उपायों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया तैयार करना और इसमें सहयोग देना।
6. ऊर्जा यूटिलिटी, उद्योग/संगठनों में नवीन प्रबन्ध प्रक्रियाओं तथा प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहन देना।
7. भारत तथा यूरोपीय समुदाय और भारत तथा एशिया पेसिफिक क्षेत्र के देशों के बीच ऊर्जा विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करना।

ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र को एक सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है और इसे 10 अप्रैल, 1989 को नागपुर में सोसायटियों का पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है और यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा। सोसायटी के अध्यक्ष, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री हैं और उपाध्यक्ष विद्युत राज्य मंत्री हैं। सोसायटी एक शासी, परिषद् के माध्यम से कार्य करेगी जिसमें विभिन्न ऊर्जा संसाधनों, मंत्रालयों/विभागों, औद्योगिक विकास विभाग, ऊर्जा का उपयोग करने वाले प्रमुख समूहों तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सचिव, विद्युत विभाग शासी परिषद के अध्यक्ष हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

वी० के० खन्ना, संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 1989

संकल्प

सं० 1/80-11/8/89-ग्रा०-II—जल विज्ञान सम्बन्धी उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के गठन के सम्बन्ध में 18 अगस्त, 1982 के संकल्प सं० 15(2)/82-परि०-III का अधिक्रमण करते हुए, जल विज्ञान सम्बन्धी उच्चस्तरीय तकनीकी समिति को अब भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति कहा जाएगा। इसका गठन निम्न प्रकार होगा :—

1.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2.	निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।	कार्यकारी-सदस्य
3.	महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।	सदस्य
4.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली ।	सदस्य
5.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।	सदस्य
6.	महानिदेशक, भारतीय भूभौतिकी सर्वेक्षण, कलकत्ता ।	सदस्य
7.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान, विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य
8,	सदस्य (डब्ल्यु० पी०) केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली ।	सदस्य
10.	अध्यक्ष, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली ।	सदस्य
11.	सलाहकार, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावर्णिक इंजीनियरी संगठन, नई दिल्ली ।	सदस्य
12.	निदेशक, स्नो अवालंची अध्ययन प्रतिष्ठान, मनाली ।	सदस्य
13.	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और कालेज, देहरादून ।	सदस्य
14.	निदेशक, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, हैदराबाद ।	सदस्य
15.	निदेशक, अनुसंधान और डिजाइन मानक संगठन, लखनऊ ।	सदस्य
16.	अध्यक्ष, भारतीय जल वैज्ञानिक संघ ।	सदस्य
17.	महासचिव, सिंचाई और निकास सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली ।	सदस्य
18.	डा० सुभाष चन्द्र, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य
19.	डा० बी० एस० माथुर, प्रोफेसर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की ।	सदस्य
20.	कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली ।	सदस्य
21.	प्रमुख इंजीनियर, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।	सदस्य
22.	निदेशक, राज्य जल अन्वेषण निदेशालय, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ।	सदस्य
23	मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई ।	सदस्य
24.	मुख्य इंजीनियर, भूजल विभाग, तमिलनाडु सरकार, मद्रास ।	सदस्य
25.	अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी ।	सदस्य
26.	वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की ।	सचिव

2. भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति के कार्य निम्नवत् होंगे :—

(1) राष्ट्रीय संगठनों से जल विज्ञान कार्य से सम्बन्धित सम्बद्ध सूचना एकत्र करके देश में जल विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कला की स्थिति तैयार करना और समय-समय पर उसे अद्यतन करना और उसका प्रसार करना।

(2) जल विज्ञान और जल संस्थानों के क्षेत्र में उन क्षेत्रों का पता लगाना जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है अथवा जिनमें प्रेक्षण, संसाधन और विश्लेषण के नए तरीके लागू किए जा सकते है, ताकि कार्यकलापों के स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तक लाया जा सके।

(3) उन क्षेत्रों में जो समिति द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किए गए हैं, अनुसंधान अध्ययन और विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को प्रोत्साहित करना। जहां आवश्यक हो, समिति स्वयं आवश्यक निधियों प्रदान करके अनुसंधान विकास प्रायोजित करे।

(4) समिति को विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए सलाह देने हेतु विशेष कार्य दल/विशेषज्ञ नामिका (पैनल) तैयार करना।

(5) जल विज्ञान और जल संसाधनों के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

(क) विशिष्ट विषयों पर व्यावसायिकों और तकनीशियनों के लिए लघुकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करके और

(ख) जहां समिति यह समझती है कि यह विषय भारतीय व्यावसायिकों और वैज्ञानिकों अथवा पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है यूनेस्को/डब्ल्यू०एम० ओ० अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(6) वर्तमान द्विपक्षीय और सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि संभव हो, अथवा विशेष प्रबन्धों द्वारा अन्य देशों के सहयोग के साथ अध्ययनों को बढ़ावा देना।

(7) यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम और डब्ल्यू० एम० ओ० के प्रचालनात्मक जल विज्ञान तथा जल विज्ञान के अन्य अन्त: सरकारी कार्यक्रमों जिनमें भारत भाग लेना चाहता है, में भारत द्वारा प्रभावी सहभागिता को समन्वित करना।

(8) सूचना का प्रसार करना और निम्न के द्वारा जल विज्ञान कार्यकलापों के मानकों में सुधार को बढ़ावा देना।

(क) प्रकाशन (i) तिमाही पत्रिका जिसमें अनुसंधान/समीक्षा निबन्ध/टिप्पणी, उनकी जल विज्ञान कार्यकलापों आदि पर विभिन्न केन्द्रों से सूचना शामिल है।

(ii) भारतीय संस्थानों में पूरे किए गए स्नातकोत्तर और पी० एच० डी० के सारांश सहित भारत में विभिन्न संस्थानों में किए गए अनुसंधान कार्य के संदर्भ में जल विज्ञान और जल संसाधनों पर टिप्पणीयुक्त विवरण।

(iii) भारतीय जल विज्ञान संगोष्ठी पर मोनोग्राफ गाइड मैनुअल और अन्य प्रकाशन और (ख) जनहित आर. हित के विषय। अथवा ऐसी राष्ट्रीय घटनाओं के समर्थन से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, परिसंवाद, कार्यशालाएं आदि आयोजित करना।

(9) समिति को भेजी गयी समस्याओं पर केन्द्रीय और राज्य सरकार के अभिकरणों को सलाह देना।

(10) अन्य राष्ट्रीय समितियों और बोर्डों के साथ प्रभावी सहयोग बनाए रखना।

3. क्रम सं० (18), (19), (21), (22), (23) और (24) पर उल्लिखित गैर-सरकारी सदस्यों और सरकारी सदस्यों की अवधि दो वर्ष की होगी और वे सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे।

4. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति को सचिवालय प्रदान करता रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति के लिए अलग बजट आवंटन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, कुछ हद तक, यदि यह आवश्यक समझा जाता है, कुछ परियोजनाओं के लिए निधियों की कुछ मात्रा भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति को सौंपी जा सकती है और इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति पहले की तरह ही कार्य करती रहेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अवतार सिंह चौहान, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 20th July 1989

No. 65-Pres/89.—In pursuance of Clause Fifthly of the ordinances instituting "Special Service Medal" published in Notification No. 8-Pres/86, dated the 29th January, 1986, the President is pleased to institute a Clasp "Sri Lanka" to be worn with "Special Service Medal" for recognition of service of personnel of Indian Peace Keeping Force in "OP Pawan' in Sri Lanka with effect from 28th July, 1987, till the end of "OP Pawan".

2. The conditions of eligibility for the award shall be as follows :—

(a) A person who has completed an aggregate service of one year in the qualifying area.

(b) Personnel of Army Aviation Corps, Naval Air Squadrons, air crew of Air Force, ejection crew of Air Despatch units and personnel borne on the effective strength of Air Maintenance Battalions/ Coast Guard Air Squadrons who have carried out a minimum of five operational sorties or twenty hours of operational flying in/over the qualifying area.

(c) All recipients of gallantry/Yuddh Seva Medal series of awards for service rendered in "OP Pawan" irrespective of the time limit.

(d) A person who died in service or was evacuated as a result of wounds or other disabilities attributable to service in the qualifying area irrespective of the time limit or number of operational sorties or number of operational flying hours.

(e) All Naval/Coast Guard personnel on Board Naval, Coast Guard, Merchant ships and crafts under the operational control of the Indian Navy who have completed an aggregate service of one year in the qualifying area.

(f) All Commanders and Staff Officers directly responsible for the operations who have made ten visits to the qualifying area.

3. Time spent in captivity in consequence of capture by hostile elements during operations in the qualifying area shall count towards the qualifying period mentioned at 2(a) and 2(e) above for Clasp "Sri Lanka" to "Special Service Medal".

4. The qualifying areas for the award shall be the geographical limits of Sri Lanka and the sea bounded by the following coordinates :—

(a) Sea Area East of line joining the following points

(i) Point 'A' — Colombo
(ii) Point 'B' — 06° 48'N — 79° 40'E
(iii) Point 'C' — 09° 06'N — 79° 32'E
(iv) Point 'D' — 09° 40'N — 79° 23'E
(v) Point 'E' — 09° 58'N — 79° 38'E

(b) Sea Area West of line joining the following points

(i) Point 'F' — 10° 16'N — 80° 46'E
(ii) Point 'G' — 06° 30'N — 82° 30'E
(iii) Point 'H' — (Great Bases Light Houses)

No. 66-Pres/89.—In relaxation of Clause Secondly of the ordinances instituting "Videsh Seva Medal", published in Notification No. 15-Pres/60, dated the 26th January, 1960, the President is pleased to approve the extension of Clasp "Sri Lanka" to "Videsh Seva Medal" to the personnel of Indian Peace Keeping Force in "OP Pawan" in Sri Lanka for recognition of their service with effect from the 28th July, 1987, till the end of "OP Pawan".

2. The conditions of eligibility for the award shall be as follows :—

(a) A person who has completed an aggregate service of one year in the qualifying area.

(b) Personnel of Army Aviation Corps, Naval Air Squadrons, air crew of Air Force, ejection crew of Air Despatch units and prescribed borne on the effective strength of Air Maintenance Battalions/ Coast Guard Air Squadrons who have carried out a minimum of five operational sorties or twenty hours of operational flying in/over the qualifying area.

(c) All recipients of gallantry awards for service in the qualifying area irrespective of the time limit.

(d) A person who died in service or was evacuated as a result of wounds or other disabilities attributable to service in the qualifying area irrespective of the time limit or number of sorties or number of operational flying hours.

(e) All Naval/Coast Guard personnel on board Naval, Coast Guard, Merchant ships and crafts under the operational control of the Indian Navy who have completed an aggregate service of one year in the qualifying area.

3. Time spent in captivity in consequence of capture by hostile elements during operations in the qualifying area shall count towards the qualifying period mentioned at 2(a) and 2(e) for Clasp "Sri Lanka" to "Videsh Seva Medal".

4. The qualifying area for the award shall be geographical limits of Sri Lanka and the sea bounded by the following coordinates :—

(a) Sea Area East of line joining the following points

(i) Point 'A' — Colombo
(ii) Point 'B' — 06° 48'N — 79° 40'E
(iii) Point 'C' — 09° 06'N — 79° 32'E
(iv) Point 'D' — 09° 40'N — 79° 23'E
(v) Point 'E' — 09° 58'N — 79° 38'E

(b) Sea Area West of line joining the following points

(i) Point 'F' — 10° 16'N — 80° 46'E

(ii) Point 'G' — 06° 30'N — 82° 30'E

(iii) Point 'H' — (Great Barrier Light Houses)

S. NILAKANTAN, Director.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 6th July 1989

RESOLUTION

No. 1/20017/2/89-OL(A-I).—The Government of India have decided to reconstitute Up Samiti of the Kendriya Hindi Samiti. The Samiti will consist of :—

Chairman

1. Home Minister

Members

2. Minister of State in the Ministry of Home Affairs (States).
3. Dr. Rudra Pratap Singh, Member of Parliament and Deputy Chairman, Committee of Parliament on Official Language
4. Shri M. K. Velayudhan Nair.
5. Shri Sudhakar Pandey.
6. Dr. Malik Mohamed.
7. Shri R. P. Naik.

Member-Secretary

8. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India

2. Function of the Up-Samiti will be to watch the Implementation of the decisions taken by the Kendriya Hindi Samiti.

3. The term of the Up-Samiti will be upto the term of the reconstituted Kendriya Hindi Samiti.

4. The headquarters of the Up-Samiti will be at New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrations of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. DAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 22nd June 1989

No. 26012-(5)/85-FY(S).—In partial modification of the ertswhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) Resolution No. 26011/1/77-FY(T-1) dated the 24th July, 1978, as amended from time to time, the President is pleased to nominate the following as members of the Central Board of Fisheries with effect from the date of issue of this Notification for three years or until they cease to be Members of Parliament or until further orders whichever is earlier :—

1. Shri T. Basheer, Member of Parliament (Lok Sabha), 34, South Avenue, New Delhi. *vice* Shri I. Rama Rai.
2. Shri B. V. Abdulla Koya, Member of Parliament (Rajya Sabha), D-4, MS Flats, BKS Marg, New Delhi. *vice* Shri T. K. C. Vaduthala.

No. 26012-(6)/88-FY(S).—In partial modification of the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) Resolution No. 26011/1/77-FY(T-1) dated the 24th July, 1978 as amended from time to time, the President is pleased to nominate the following persons as non-official members of the Central Board of Fisheries with effect from the date of issue of this notification for three years or until further orders whichever is earlier :—

1. Shri A. L. Mallaiah, President, Pradesh Gangapetra Sangham. (A.P. Fishermen Association) H. No. 1-2-606/2/7, Banda Maisamma Basti, Near Indira Park, Hyderabad-500380 (A.P.).
2. Shri B. M. Gadkar, Vice-Chairman, National Association of the Fishermen, 16/1, South Tukoganj, Sarju Sadan, Indore (M.P.).
3. Shri Ramakant, Gram Pradhan, Sujabad, P.S. Kushi Ashram, Varanasi (U.P.).
4. Shri Ronald David, FishProcessor and Exporter of Frozen Marine Foods, Rahul Food (Goa), Post Box 330, Excelsior Chambers, Panaji, Goa-403001.
5. Shri J. T. Patil, President, National Federation of Fishermen's Cooperatives Ltd., Unit No. B(II-Floor), Pocket 'C', J-Block Market, Saket, New Delhi-110017.

G. R. BAZARIA, Dy. Secy.

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(DIRECTORATE OF SHIPPING)

Bombay, the 5th July 1989

RESOLUTION

No. 14-SH(1)/85.—The Trade Passenger Welfare Committee at the Port of Madras was to expire on 6-5-89 vide Resolution No. 14-SH(1)/85 dated 15-11-88. The Director General of Shipping inexercise of the powers delegated to him vide the then Ministry of Shipping & Transport letter No. 1-MDS(28)/76-MA dated 15-10-1976 has decided to extend the period of the committee by six months effective from 6-5-89.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. The Private and Military Secretaries to the President of India, New Delhi.
2. The Prime Minister's Secretariat, New Delhi.
3. The Lok Sabha Secretariat, New Delhi. (With Spare copies).
4. The Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. The Ministry of Transport, Department of Surface Transport, (Shipping Wing), New Delhi. (with 10 spare copies).
6. The Ministry of Agriculture, New Delhi.
7. The Ministry of Commerce, New Delhi
8. The Ministry of Communications, New Delhi.
9. The Ministry of Defence, New Delhi.
10. The Ministry of Energy, New Delhi.
11. The Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
12. The Ministry of External Affairs, New Delhi.

13. The Ministry of Finance, New Delhi.
14. The Ministry of Food and Civil Supplies, New Delhi.
15. The Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
16. The Ministry of Home Affairs, New Delhi.
17. The Ministry of Human Resource Development, New Delhi.
18. The Ministry of Industry, New Delhi.
19. The Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.
20. The Ministry of Labour, New Delhi.
21. The Ministry of Law and Justice, New Delhi.
22. The Ministry of Parliamentary Affairs & Tourism, New Delhi.
23. The Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, New Delhi.
24. The Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.
25. The Ministry of Planning, New Delhi..
26. The Ministry of Programme Implementation, New Delhi.
27. The Ministry of Science and Technology, New Delhi.
28. The Ministry of Steel and Mines, New Delhi.
29. The Ministry of Textiles, New Delhi.
30. The Ministry of Urban Development, New Delhi.
31. The Ministry of Water Resources, New Delhi.
32. The Ministry of Welfare, New Delhi.
33. Department of Atomic Energy, New Delhi.
34. Department of Electronics, New Delhi.
35. Department of Ocean Development, New Delhi.
36. Department of Space, New Delhi.
37. Planning Commission, New Delhi.
38. The Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.
39. The Chief Secretary, Govt. of Arunachal Pradesh, Srinagar.
40. The Chief Secretary, Govt. of Assam, Dispur.
41. The Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna.
42. The Chief Secretary, Govt. of Goa, Daman & Diu, Panaji. .
43. The Chief Secretary, Govt. of Gujarat, Ahmedabad.
44. The Chief Secretary, Govt. of Haryana, Chandigarh.
45. The Chief Secretary, Govt. .of Himachal Pradesh, Simla.
46. The Chief Secretary, Govt.. of Jammu & Kashmir, Srinagar.
47. The Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore.
48. The Chief Secretary, Govt. of Kerala, Trivandrum.
49. The Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
50. The Chief Secretary, Govt. of Maharashtra, Bombay.
51. The Chief Secretary, Govt. of Meghalaya, Shillong.
52. The Chief Secretary, Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.
53. The Chief Secretary, Govt. of Punjab, Chandigarh.
54. The Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
55. The Chief Secretary, Govt. of Tamil Nadu, Madras.
56. The Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
57. The Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Calcutta.
58. The Chairman, Madras Port Trust, Madras.
59. The Indian National Shipowners Association, Bombay.
60. The Chairman, & Secretary, National Harbour Board, Bombay-1.
61. The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Bombay.
62. The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta.
63. The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras.
64. The Chairman & Members of Special Trade Passenger Welfare Committee, Madras.
65. The Public Information Bureau, Bombay.
66. The Public Information Bureau, New Delhi.

Ordered also that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 14-SH(2)/83.—The Special Trade Passenger Welfare Committee at the Port of Calcutta was to expire on 6-5-89 vide Resolution No. 14-SH(2)/83 dated 15-11-88. The Director General of Shipping inexercise of the powers delegated to him vide the then Ministry of Shipping and Transport letter No. 1-MDS(28)/76-MA dated 15-10-1976 has decided to extend the period of the committee by six months effective from 6-5-89.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated. to :—

1. The Private and Military Secretaries to the President of India, New Delhi.
2. The Prime Minister's Secretariat, New Delhi.
3. The Lok Sabha Secretariat, New Delhi, (With 5 Spare copies).
4. The Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. The Ministry of Transport, Department of Surface Transport, (Shipping Wing), New Delhi. (with 10 spare copies).
6. The Ministry of Agriculture, New Delhi.
7. The Ministry of Commerce, New Delhi.
8. The Ministry of Communications, New Delhi.
9. The Ministry of Defence, New Delhi.
10. The Ministry of Energy, New Delhi.
11. The Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
12. The Ministry of External Affaris, New Delhi.
13. The Ministry of Finance, New Delhi.
14. The Ministry of Food and Civil Supplies, New Delhi.
15. The Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
16. The Ministry of Home Affairs, New Delhi.
17. The Ministry of Human Resource Development, New Delhi.
18. The Ministry of Industry, New Delhi.
19. The Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.
20. The Ministry of Labour, New Delhi.
21. The Ministry of Law and Justice, New Delhi.
22. The Ministry of Parliamentary Affairs & Tourism, New Delhi.
23. The Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, New Delhi.
24. The Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.
25. The Ministry of Planning, New Delhi..
26. The Ministry of Programme Implementation, New Delhi.
27. The Ministry of Science and Technology, New Delhi.

28. The Ministry of Steel and Mines, New Delhi.
29. The Ministry of Textiles, New Delhi.
30. The Ministry of Urban Development, New Delhi.
31. The Ministry of Water Resources, New Delhi.
32. The Ministry of Welfare, New Delhi.
33. Department of Atomic Energy, New Delhi.
34. Department of Electronics, New Delhi.
35. Department of Ocean Development, New Delhi.
36. Department of Space, New Delhi.
37. Planning Commission, New Delhi.
38. The Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.
39. The Chief Secretary, Govt. of Arunachal Pradesh, Srinagar.
40. The Chief Secretary, Govt. of Assam, Dispur.
41. The Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna.
42. The Chief Secretary, Govt. of Goa, Daman & Diu, Panaji.
43. The Chief Secretary, Govt. of Gujarat, Ahmedabad.
44. The Chief Secretary, Govt. .of Haryana, Chandigarh.
45. The Chief Secretary, Govt. of Himachal Pradesh, Simla.
46. The Chief Secretary, Govt. of Jammu & Kashmir, Srinagar.
47. The Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore.
48. The Chief Secretary, Govt. of Kerala, Trivandrum.
49. The Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
50. The Chief Secretary, Govt. of Maharashtra, Bombay.
51. The Chief Secretary, Govt. of Meghalaya, Shillong.
52. The Chief Secretary, Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.
53. The Chief Secretary, Govt. of Punjab, Chandigarh.
54. The Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
55. The Chief Secretary, Govt. of Tamil Nadu, Madras.
56. The Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
57. The Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Calcutta.
58. The Chairman, Madras Port Trust, Madras.
59. The Indian National Shipowners Association, Bombay.
60. The Chairman, & Secretary, National Harbour Board, Bombay-1.
61. The Principal Officer, M.M.D. Bombay, Calcutta, Madras.
62. The Chairman & Members of Special Trade Passenger Welfare Committee, Bombay.
63. The Public Information Bureau, Bombay.
64. The Public Information Bureau, New Delhi.

Ordered also that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

J. S. GILL,
Sr. Deputy Director General of Shipping

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 5th July 1989

RESOLUTION

No. 7(2)/87-EP(Vol.IV).—One of the basic objectives of the National Energy Policy is to ensure adequate energy supplies for various sectors of the economy at minimum cost. Apart from increasing the production of energy in various forms, this calls for continuous upgradation of the skills of Energy Managers in all sectors so that the country is able to get more economic benefits out of the available energy. With a view to assisting in this task, the Government has decided to set up an Energy Management Centre at Nagpur with the following objectives :

(i) To develop innovative methodologies in energy management techniques, particularly software aspects.

(ii) To increase the capability of energy professionals and train energy managers and experts.

(iii) To improve the energy information system and data base.

(iv) To organise exchange of research results on energy policy and energy management, planning techniques, energy statistics and forecasting, etc. among institues/organisations/industries within the country as well as between Indian and European professionals.

(v) To evolve and assist in the implementation of programmes/measures to strengthen energy management discipline in the country.

(vi) To encourage emergence of innovative management practices and system in energy utility industry/organisations.

(vii) To organise exchange of energy exports between India and the European Community as well as between India and countries in the Asia Pacific region.

The Energy Management Centre has been constituted as a Society and registered under the Registration of Societies Act, 1860 at Nagpur on 10th April, 1989 and it would function as an autonomous body. The President of the Society is the Union Energy Minister and the Vice-President is the Minister of State for Power. The Society is to function through a Governing Council having representation from the various energy resource/Ministries/Departments, the Department of Industrial Development, major energy user groups and others. Secretary, Department of Power is the Chairman of the Governing Council.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries and Departments of the Government of India, State Governments, Union Territories' Administrations and all others concerned.

V. K. KHANNA, Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 1st June 1989

RESOLUTION

No. 1/89-11/8/89-E.II.—In supersession to the Resolution No. 19(2)/82-P.III dated 18th August 1982 to constitute a High Level Technical Committee on Hydrology, the High Level Technical Committee on Hydrology will henceforth be called 'INDIAN NATIONAL COMMITTEE ON HYDROLOGY' with the following composition :

Chairman

(1) Chairman, Central Water Commission, New Delhi.

Executive Member

(2) Director, National Institute of Hydrology, Roorkee.

Members

(3) Director-General, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi.

(4) Chirman, Central Electricity Authority, New Delhi.

(5) Director-General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

(6) Director-General, Geological Survey, of India, Calcutta.

(7) Director-General, India Meteorology Department, New Delhi.

(8) Member (WP), Central Water Commission, New Delhi.

(9) Chairman, Central Ground Water Board, New Delhi.

(10) Chairman, Central Board of Prevention & Control of Water Pollution, New Delhi.

(11) Adviser, Central Public Health & Environmental Engineering Organisation, New Delhi.

(12) Director, Snow Avalanche Study Establishment, Manali.

(13) President, Forest Research Institute & College, Dehradun.

(14) Director, National Remote Sensing Agency, Hyderabad.

(15) Director, Research & Design Standard Organisation, Lucknow.

(16) President, Indian Association of Hydrologists.

(17) Secretary-General, International Commission on Irrigation & Drainage, New Delhi.

(18) Dr. Subhash Chander, Professor, Indian Institute of Technology, New Delhi.

(19) Dr. B. S. Mathur, Professor, University of Roorkee, Roorkee.

(20) Executive Member, Narmada Control Authority, New Delhi.

(21) Engineer-in-Chief, Irrigation Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

(22) Director, State Water Investigation Directorate, West Bengal, Calcutta.

(23) Chief Engineer, Irrigation, Department, Government of Maharashtra, Bombay.

(24) Chief Engineer, Ground Water Department, Government of Tamil Nadu, Madras.

(25) Chairman, Brahmaputra Board, Gauhati.

Secretary

(26) A Senior Scientist, National Institute of Hyderabad, Roorkee.

2. The functions of the Indian National Committee on Hydrology shall be as follows :

(1) To prepare and periodically update the state of art in the country in different branches of Hydrology by collecting relevant information relating to hydrological work from national organisations and disseminating the same ;

(2) To identify areas in the field of hydrology, and water resources which need immediate attention or in which new methods of observation, processing and analysis may have to be introduced in order to bring up the level of activity to international standards;

(3) To encourage the national institutions to take up research studies and developmental activity in the fields which have been identified by the Committee as priority areas. Where necessary, the Committee itself should sponsor research/development by providing the necessary funds;

(4) To appoint special task forces/expert panels to consider special problems for advice to the Committee;

(5) To promote education and training in the field of hydrology and water resources. Special attention may be paid to (a) organising short term courses for professionals and technicians on specialised topics; and (b) organising international training seminars with the assistance of UNESCO/WMO or other international organisations, where required on topics which are considered by the Committee to be of importance to the Indian professionals and scientists or the region as a whole;

(6) To foster collaborative studies with other countries under the existing bilateral and aid programme, if possible or by special arrangements;

(7) To coordinate effective participation by India in the international hydrological programme of UNESCO and operational hydrology programme of WMO and other inter-Governmental programmes of hydrology in which India may wish to participate;

(8) To disseminate information and thereby promote improvement in the standards of hydrological activity by (a) publishing (i) a quarterly journal containing research/review papers, notes, news from various centres on their hydrological activities etc. (ii) annotated bibliography on hydrology and water resources referring to the research work done in different institutions in India including abstracts of the post. graduate and Ph.D. theses completed at Indian institutions; and (iii) monographs, guide mannuals and other publications on Indian Hydrology series; and (b) organising national and international symposia, seminars, workshops etc. on topics of relevance and interest or supporting such national events;

(9) To provide advice to Central and State Government agencies on the problems referred to the Committee;

(10) To maintain effective cooperation with other National Committees and Boards.

3. The non-official Members and official Members mentioned at serial No. (18), (19), (21), (22), (23), & (24) will have a term of two years and will be nominated by the Government.

4. The National Institute of Hydrology will continue to provide Indian National Committee on Hydrology (INCH) with the Secretariat. There should be no need for a separate budget allocation for Indian National Committee on Hydrology. However, to a limited extent, if it is considered necessary, a certain quantum of funds may be placed at the disposal of Indian National Committee on Hydrology for certain purposes and there should be no objection to this. In the field of international cooperation and coordination, Indian National Committee on Hydrology would continue to function as before.

ORDER

Ordered that the above Resolution may be published in the Gazette of India.

A. S. CHAUHAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1989